International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 26-02-2023, Accepted: 13-03-2023, Published: 28-03-2023
Volume 9, Issue 2, 2023, Page No. 92-95

बिहार पर पृथक्करण एवं पुर्नगठन का प्रभावः एक भौगोलिक अध्ययन

संजय कुमार
प्रोफेसर, भूगोल विभागाध्यक्ष, राजेन्द्र कॉलेज, छपरा, बिहार, भारत

सारांश
बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। अपने इतिहास के प्रारंभिक काल से मानवीय जीवन के सभी प्रमुख श्रेत्रों में बिहार का स्थान अत्यन्त ही प्रभावशाली रहा है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ब्रिटेन का उपनिवेश बनने से पूर्व मुस्लिम शासन काल में बिहार का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। बिहार की राजनीतिक सीमाओं में 1912 से आजतक मुख्यतः चार बार राजनीतिक परिवर्त्तन किये गये हैं। 1912 के अतिरिक्त 1936, 1956 एवं वर्ष 2000 में पृथक्करण एवं पुर्नगठन से बिहार को क्षेत्रिय, सामाजिक एवं आर्थिक हानि हुई है। बिहार अब मूलतः पिछड़ी कृषि अर्थव्यवेस्था वाला प्रदेश है, जहाँ गरीबी, रोजगार के लिए पलायन औद्योगिक शून्यता के बीच जनाधिक्य की स्थिति वाला देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है। इस स्थिति से उबरने के लिए सरकार को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ दीर्घ सूत्री एवं संतुलित विकास कार्यक्रम को लागू करना होगा। तभी यह राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और पौराणिक गौरव के आसपास पहुँचेगा।

मूलशब्दः बिहार, गौरवपूर्ण अतीत, पृथक्करण एवं पुर्नगठनः आर्थिक पिछड़ापन, संतुलित विकास

बिहार ज्ञान शक्ति और सभ्यता के क्षेत्र में विश्व इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता रहा है। छठी सदी ईसापूर्व में बिहार के अन्तगर्त मगध, अंग, विदेह वज्जीसंघ आदि जनपद थे। प्राचीन काल से मुस्लिम शासकों के दौर में भी बिहार का एक अलग एवं महत्वपूर्ण स्थान था। सर्वप्रथम शेरशाह ने 1540 ई॰ में अपनी राजसत्ता का प्रारंभ बिहार से किया और 1541 में बिहार सूबे की राजधानी पटना को बनाया। यह व्यवस्था 1573 ई॰ तक बनी रही। आईन–ए–अकबरी में इस बात की पुष्टि होती है कि मुगल सम्राटों के शासन काल में बिहार का स्वतंत्र अस्तित्व कायम था। अकबर के 12 सूबों में एक बिहार भी था। 1707 ई० में मुगल सम्राट औरंगजेब के निधन के पश्चात् बिहार, बंगाल के नवाबों के हाथ में चला गया। 1765 ई॰ में मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। इसी के साथ बिहार ने एक अंधकारमय दौर में प्रवेश किया और अपना स्वतंत्र प्रादेशिक पहचान खोता चला गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में बिहारियों के बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेने के कारण ब्रिटिश शासकों के मन में उनके प्रति अविश्वास भर दिया फलतः वे बिहार के प्रति शत्रुतापूर्ण और सौतेला व्यवहार करने लगे। 1858 से प्रारंभ ब्रिटिश शासकों की भेदभावपूर्ण नीति के कारण बिहार बंगाल के मुकाबले विकास कार्यक्रमों में लगातार पिछड़ता चला गया। कलकत्ता प्रदेश की राजधानी के साथ देश की भी राजधानी थी। इससे शिक्षा एवं रोजगार के अधिकतर अवसर बंगालियों को ही मिले। 1912 से 2000 तक हुये चार बार सीमा परिवर्तन ने 1912 के अतिरिक्त बिहार के स्थिति पर बुरा प्रभाव ही डाला है।

उद्देश्यः वर्ष 2021 में लोकसभा में दिये जवाब में सरकार के मंत्री ने बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बताया है। वर्ष 1912 से 2000 तक बिहार की राजनीतिक सीमाओं में चार बार परिवर्तन हुये हैं इस शोध आलेख के माध्यम से इस तथ्य की पड़ताल करनी है कि इन सीमा परिवर्त्तन का बिहार के भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या बिहार के पिछड़ेपन में इन राजनीति विभाजनों का भी योगदान रहा है? साथ ही विभाजन के प्रभाव का मूल्यांकन का कुछ सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना है, जिससे बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके।

आँकड़ें का स्रोतः बिहार विभाजन के तथ्यों पर सम्यक अवलोकन हेतु द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकें : अभिलेखाकार एवं पुस्तकालय से प्रकाशित विवरण सरकारी रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, जर्नल आदि से सहयोग प्राप्त किया गया है।

अध्ययन क्षेत्रः बिहार भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसका भौगोलिक विस्तार 24°12′50″ से 27°31′15″ उत्तरी अक्षांश के बीच और 83°19′50″ से 88°17′40″ पूर्वी देशान्तरों के बीच है। चर्तुभुजाकार आकृति वाला यह राज्य 483 किमी लंबी और उ० से द० 345 किमी चौड़ी है।
यह एक स्थलबद्ध राज्य है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। द० में झारखण्ड पूर्व में प० बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी क्षेत्र है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 10,40,99,452 व्यक्ति थी। क्षेत्रफल के अनुसार बराहवाँ एवं आबादी के लिहाज से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है।

पृथक्करण एवं पुर्नगठन का प्रभावः बिहार की भौगोलिक–राजनीति सीमाओं में विगत शताब्दी में काफी परिवर्त्तन हुये हैं। 20वीं सदी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा, बंगाल प्रान्त के अंग थे। 1912 ई॰ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रान्त से अलग हुये। 1936 ई॰ में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। 1947–48 में बिहार एवं उड़ीसा की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण हुआ। जबकि 1956 ई॰ में राज्यों के पुर्नगठन के क्रम में पुरूलिया जिला एवं पूर्णियाँ जिले के कुछ क्षेत्र प॰ बंगाल में मिला लिये गये इसके 44 वर्ष उपरान्त 15 नवम्बर, 2000 ई॰ को बिहार का पुनः विभाजन हुआ और भारतीय संघ के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का जन्म हुआ।

बंगाल से बिहार का विभाजन (1912)

ब्रिटिश काल में बिहार का बंगाल से विभाजन वर्ष, 2012 में हुआ। 12 दिसम्बर, 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में सम्राट जार्ज पंजम ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नये प्रान्त के सृजन की घोषणा की। नवगठित प्रान्त को उपराज्यपाल के साथ

कार्यकारिणी परिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिल) भी प्राप्त हुआ, जो उस समय बंगाल को छोड़कर किसी अन्य प्रान्त में नहीं था। अलग प्रान्त सृजन की विधिवत् अधिसूचना, 22 मार्च, 1912 को की गई। नवगठित प्रान्त में पाँच प्रमण्डल शामिल थे–

1. भागलपुर प्रमण्डल–भागलपुर पूर्णियाँ एवं संथाल परगना जिला
2. पटना प्रमण्डल–पटना, गया और शाहाबाद जिला
3. तिरहुत प्रमण्डल–चम्पारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिला
4. छोटानागपुर प्रमण्डल–हजारीबाग, मानभूम, पलामू, राँची एवं सिंहभूम जिला
5. उड़ीसा प्रमण्डल–अंगुल, बालासोर कंटक, पुरी और संभलपुर जिला

नवसृजित बिहार एवं उड़ीसा प्रान्त के प्रथम गर्वनर जनरल सर स्टूटर्ट बेली नियुक्त किये गये जिन्होंने 01 अप्रैल, 1912 को अपना कार्यभार संभाला। पटना को प्रान्त की राजधानी और राँची को अस्थायी मुख्यालय घोषित किया गया।

अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों का पहला शिकार बंगाल ही था और बंगाल का एक हिस्सा होने के कारण स्वाभाविक रूप से बिहार भी प्रारंभ से अंग्रेजी राजनीतिक प्रभुत्व एवं उसके आर्थिक नीतियों के प्रभाव में था।

समुद्र से निकटवर्ती स्थिति, कलकत्ता को प्रान्त एवं देश दोनों की राजधानी होने, पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवजागरण के प्रभाव के कारण प्रारंभ से ही बंगालियों ने बिहार के प्रशासन और शिक्षा पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन प्रारंभ के लगभग 100 वर्षों तक बिहार को बंगाल की तुलना में हर क्षेत्र में कम महत्व दिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप बिहार का पिछड़ापन बढ़ा। डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद ने इस व्यथा को अपनी आत्मकथा में लिखा है कि "बिहार अंग्रेजी शासन के प्रारंभ से ही बंगाल का हिस्सा बना रहा, यहाँ तक कि बिहार का अलग नाम तक लोग भूलने लगे थे लेकिन बंगाल उन्नत सूबा था पर उस उन्नति का प्रभाव बिहार तक नहीं पहुँच सका।"

सन् 1912 ई॰ में एक पृथक प्रान्त के रूप में बिहार का उदय एक महज प्रशासनिक निर्णय नहीं था बल्कि इसके पीछे कई दशकों से चल रहे बिहार की अपनी अलग आंचलिक पहचान के विकास की प्रक्रिया थी।

19वीं सदी के अंतिम तीन दशकों में अंग्रेजी प्रभुत्व के अन्तगर्त्त बिहार का कुशासन, औपनिवेशिक आर्थिक असंतोष तथा बिहार की उपेक्षा से उत्पन्न व्यापक असंतोष था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव कुछ बिहारी मुस्लिम और कायस्थ बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा। वे अपने बौद्धिक ज्ञान से बिहार के पिछड़ेपन का मूल कारण बंगाल के साथ बिहार का होना मान रहे थे इसलिए उन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करने की वकालत की। फरवरी 1876 ई॰ में मुंगेर से प्रकाशित पत्र, 'मुर्ग–ए–सुलेमा' ने सर्वप्रथम बिहारियों के लिए एक अलग प्रान्त की माँग की। फिर जनवरी 1877 में उर्दू समाचार पत्र 'कासिद' ने भी इस माँग का समर्थन करते हुए बंगाल के साथ बिहार का एकीकरण को अहितकर, कृत्रिम और बिहार के पिछड़ेपन का आधार बताया। 1896 में इलाहाबाद से प्रकाशित 'पायोनियर' पत्रिका ने भी बंगाल से बिहार के पृथक्करण को विभिन्न दृष्टिकोण से सही और उचित बताया। 19वीं सदी के अन्तिम दशक में बिहार के शिक्षित वर्गों द्वारा बिहार को पृथक प्रान्त बनाने की माँग जोर पकड़ने लगी। इसमें गति डॉ॰ सच्चिदानंद सिन्हा के गंभीर प्रयास एवं महेश नारायण के संपादन में 26 जनवरी, 1894 को 'बिहार टाइम्स' के प्रकाशन से प्रारंभ हुई। बाद में उन दोनों के 'हिन्दुस्तान रिव्यु' में प्रकाशित लेखों को मिलाकर 1906 में प्रकाशित पुस्तक "पार्टिशन ऑफ बंगाल एण्ड सेपरेशन ऑफ बिहार" ने बुद्धिजीवियों एवं प्रशासकों के बीच बिहार को अलग प्रान्त के गठन के लिए एक वैचारिक आधार प्रदान किया।

आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से निरंतर पिछड़ता बिहार, बिहारियों के मन में बंगाल के प्रति आक्रोश भर रहा था। 1898–99 के आँकड़े के अनुसार बंगाल में 39 कॉलेज थे और बिहार में सिर्फ 10 जबकि बिहार की जनसंख्या अधिक थी। बिहार मे कार्य करने वाले 80: पदाधिकारी बंगाली थे। छोटे पदों पर भी बंगालियों का वर्चस्व था। बंगाल में मजदूरी दर अधिक होने के कारण बिहार से मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा था आंतरिक औपनिवेशीकरण के कारण बिहार के उद्योग–धन्धे चौपट हो गये थे। यह मात्र कच्चे माल और कुशल मजदूरों के आपूर्ति करने वाले केन्द्र रह गये।

एक तो ब्रिटिश उपनिवेश ऊपर से बंगाल के आन्तरिक उपनिवेश होने के कारण बिहार लगातार पिछड़ता गया। बिहार वासियों के आक्रोश को बौद्धिक प्रयास से पृथक प्रान्त के रूप में 22 मार्च, 1912 को भारत के गर्वनर जनरल के उद्घोषणा के अनुसार बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र जो पहले बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी की सीमा के भीतर थे, उसे अलग प्रान्त का दर्जा दिया गया।

प्रभाव: बिहार के सृजन के साथ ही नये सिरे से राष्ट्रीय स्तर इसकी पहचान बनी और नये बिहार ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न चरणों में उल्लेखनीय ढ़ंग से भाग लेना शुरू किया। स्थापना के स्मरणीय वर्ष, 1912 में ही बिहार की ऐतिहासिक भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वाँ अधिवेशन बाँकीपुर में सम्पन्न हुआ।

- बिहार के सृजन से यहाँ के मध्यम वर्ग को तत्काल यह लाभ हुआ कि उनके लिए अब सार्वजनिक सेवाओं के विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में नियुक्ति के सुअवसर प्राप्त हुये जिसके कारण पढ़े–लिखे लोगों की बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक दूर हुई।
- सरकारी स्तर पर नौकरी की संभावना बढ़ने के कारण, शिक्षा का महत्व रेखांकित हुआ और कृषि कार्य में लगे लोग की नौकरी पाने के लिए शिक्षा की ओर उन्मुख हुये।
- शिक्षा के उन्नयन हेतु नये विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना होने लगी। 1917 में पटना विश्वविद्यालय बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ।
- 3 फरवरी, 1916 को कोलकता उच्च न्यायालय से अलग होकर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई इससे न्यायिक क्षेत्र में यहाँ के लोगों की सुविधाओं और रोजगार सृजन में वृद्धि हुई।
- उत्तर बिहार के कई हिस्सों में चीनी कारखाने तथा द० बिहार एवं वर्त्तमान झारखंड में खनिज–संसाधनों पर आधारित औद्योगिक प्रतिष्ठान खोले गये जिससे यहाँ के लोगों के आर्थिक विकास एवं रोजगार मिलने की संभावनाओं को गति मिली।
- विभाजन के पश्चात् ही बिहार में साम्प्रदायिक एंव जातिवादी राजनीति की शुरूआत हुई। जातियों के संगठन बनने लगे और जातिये सभाओं का आयोजन होने लगा।

बिहार से उड़ीसा का पृथक्करण (1936): बंगाल से बिहार–उड़ीसा के पृथक होने की घटना की पृष्ठभूमि में बिहार से उड़ीसा के अलग होने के कारणों को बेहतर ढ़ंग से समझा जा सकता है। जिस मध्यमवर्ग की महत्वाकांक्षा ने बंगाल से बिहार को पृथक कर अपने वर्गीय हितों तथा स्वार्थो की रक्षा का उपाय किया। इस वर्ग ने बंगाली प्रभुत्व को समाप्त कर अपनी प्रभुसत्ता कायम कर ली और इस वर्ग के बढ़ती महत्वाकांक्षा ने एक बार पुनः

बिहार से उड़ीसा को अलग करने का कार्य किया बंगाल से बिहार के पृथक होने के माँग के जैसा ही उड़िया लागों के बीच प्रबुद्ध वर्ग, भाषा, और संस्कृति के आलोक में बिहार के पृथक्करण की माँग रखते हैं। 1912 और 1936 के पृथक्करणों में एक खास समानता के बावजूद मौलिक अंतर यह था कि बंगाल से पृथक होने के क्रम में कई अवसरों पर बंगाली–बिहारी विवाद अशोभनीय रूप ले लेता था किन्तु उड़ीसा के पृथक्करण में बिहारी उड़िया कभी मर्यादाहीन नहीं हुई।

पृथक्करण में पूर्व उड़ीसा, बंगाल, मद्रास, केन्द्रिय प्रान्तों तथा बिहार का हिस्सा था। 1846 में ब्रिटिश सरकार द्वारा डॉ॰ ग्रिमसर्न के नेतृत्व में कराये गये भाषाई सर्वेक्षण में इन उड़िया भाषी इलाकों को प्राकृतिक उड़ीसा की संज्ञा दी। उड़िया भाषी इलाकों में पृथक राज्य की माँग के पीछे भाषाई, जातिये विभेद के साथ प्रशासनिक विफलता की एक महत्वपूर्ण कारण थी। 1875 में बालासोर के राजा श्यामनंदन डे ने सरकार को उड़िया भाषी इलाकों को एक प्रान्त में समाहित करने का प्रस्ताव दिया। प्रान्तीय नेता मधुसुधन दास ने "उत्कल यूनियन कांफ्रेस" का गठन किया जो कि क्षेत्रिय, सामाजिक–राजनीतिक–संगठन के रूप थी, ने की अलग उड़िया प्रान्त के वकालत की। सन् 1912 में बंगाल का विभाजन तथा एक नये प्रान्त बिहार–उड़ीसा के सृजन का निर्णय उड़ीसा के लोगों के लिए "नयी बोतल में पुरानी शराब सरीखी" थी। उड़ीसा के लोगों के अनुसार बिना उनकी इच्छाओं का ख्याल रखे उड़ीसा डिवीजन को बंगाल से बिहार में स्थानान्तरित कर दिया गया उनके लिए इस प्रान्त का सृजन राजनीतिक भूकंप सरीखा था। लार्ड कर्जन ने भी इसे पूर्णतः वेवकूफी बताया।

अंततः एक लंबे राजनैतिक संघर्ष तथा प्रशासनिक जद्योजहद के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने बिहार, उड़ीसा, मद्रास बंगाल तथा केन्द्रीय प्रान्त की उड़िया भाषायी क्षेत्रों को मिलाकर उड़ीसा प्रान्त बनाने का निर्णय किया। 21 जनवरी, 1936 को संसद से पास किया गया 03 मार्च, को ब्रिटेन के राजा की अनुमति के पश्चात 01 अप्रैल, 1936 को 24 वर्ष पश्चात् बिहार से अलग होकर उड़ीसा का स्वतंत्र अस्तित्व बना।

प्रभावः– बिहार के उड़ीसा प्रमण्डल एवं शेष तीन प्रान्तों के उड़िया भाषा–भाषी क्षेत्रों की मिलाकर एक भाषायी प्रान्त का गठन हुआ। पटना उच्च न्यायालय ही उड़ीसा राज्य की उच्च न्यायालय बनी रही।

–ब्रिटिश सरकार ने बिहार से पृथक उड़ीसा के अस्तित्व पर मुहर लगाकर भारतीय समाज में विद्यमान विघटनकारी प्रवृत्तियों में क्षेत्रियता, भाषायी एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व जैसी नाकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा दिया फलतः आजादी के बाद भी बिहार को विघटन तथा बंटवारे की पीड़ा झेलनी पड़ी।

देशी रियासत सरायकेला–खरसावाँ का विलय (1948) आजादी के बाद पूरा देश देशी रियासतों के विलय के दौर से गुजर रहा था। 14–15 दिसम्बर, 1947 को ही खरसावाँ और सरायकेला देशी रियासतों का उड़ीसा राज्य में विलय का समझौता हो चुका था। 01 जनवरी, 1948 को यह समझौता लागू होना था। इसी दिन कैप्टन जयपाल सिंह के आह्वान पर लगभग 50 हजार लोगों की विलय के विरोध में जनसभा आयोजित की गई यहीं पुलिस से झड़प होने के कारण पुलिस के गोली से सैंकड़ों लोग मारे गये। स्वतंत्र भारत के इस पहले गोलीकांड को डॉ॰ लोहिया ने "आजाद भारत का जालियावाला बाग कांड" कहा। उड़ीसा में विलय के प्रबल विरोध को देखते हुये देशी रियासत के अंतिम शासक राजा आदित्य प्रताप सिंह देव ने 18 मई, 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये और इस प्रकार वह बिहार के सिंहभूम जिले का भाग हो गया।

बिहार और राज्य पुर्नगठन आयोग (1953–1956)

स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात् भारत सरकार ने भाषायी आधार पर राज्यों का पुर्नगठित करने के लिए राज्य पुर्नगठन आयोग की स्थापना 22 दिसम्बर, 1953 को संसद में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के साथ हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में उड़ीसा के गर्वनर डॉ॰ सैयद फजल अली तथा राज्यसभा सांसद हृदयनाथ कुंजरू और मिस्र में भारत के राजदूत कवलम माधव पणिक्कर सदस्य बनाये गये। 30 दिसम्बर, 1955 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तिय सुविधा, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुर्नगठन का आधार बताया।

आयोग के प्रतिवेदन को अनुशंसाओं के प्रकाश में आने के बाद प॰ बंगाल और बिहार में धरना प्रदर्शन और बैठकों का दौर प्रारंभ हुआ। देश के अन्य हिस्सों में भी आक्रोश था।

इस पृष्ठभूमि में प॰ बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्री ने आपसी विचार–विमर्श से तय कर दिया कि दोनों राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना जो विखण्डनकारी प्रवृत्तियों के विरूद्ध देश के सभी राज्यों के समक्ष अनुकरणीय आदर्श बनेगा। इस संबंध में 24 जनवरी, 1956 को प० बंगाल विधान सभा में बहस हुई लेकिन बाद में मुख्यमंत्री डॉ॰ वी॰सी॰ राय एकीकरण के निर्णय से विमुख हो गये। 25 फरवरी, 1956 में मुख्यमंत्री डॉ॰ श्रीकृष्ण सिन्हा के प्रयास से बंगाल–बिहार एकीकरण प्रस्ताव बिहार विधानसभा में 35 के विरूद्ध 156 मतों से अपनी स्वीकृति प्रदान की। बाद में यह विलक्षण योजना सफल नहीं हो पाई।

1956 में संसद ने राज्य पुर्नगठन आयोग की अनुशंसा को संसद में पास कर दिया। इसके तहत 14 राज्य एवं 06 केन्द्र शासित प्रदेश बनाये गये।

1956 के पुर्नगठन आयोग के संस्तुतियों के आधार पर पुरूलिया, किशनगंज अनुमण्डल के बंग्लाभाषी भाग तथा गोपाल थाना क्षेत्र में बंग्लाभाषी क्षेत्र, भाषायी आधार पर प॰ बंगाल को सौंप दिया गया।

इस प्रकार बिहार का क्षेत्रफल 69,348 वर्गमील था जो घटकर, 1956 में 67,196 वर्गमील रह गया। इस प्रकार बिहार के क्षेत्रफल का 2152 वर्गमील या 5509 वर्ग किमी भाग दूसरे राज्यों का अंग बन गया। 1956 के बाद बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किमी रह गया।

बिहार सरकार द्वारा बिहार विधानमण्डल के दोनों सदनों में क्षेत्रान्तरण का घोर विरोध किया गया और अन्य स्तरों पर भी भारी विरोध दर्ज किया गया। यह क्षेत्रान्तरण बिहारवासियों के इच्छा के विपरित था। आयोग के अनुशंसा से बिहार को क्षति हुई और अपने कुछ क्षेत्र प॰ बंगाल को देने पड़े।

बिहार का एक और विभाजन और झारखंड राज्य का उदय (2000)

झारखंड राज्य के गठन हेतु जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसका उद्देश्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को एक नये राज्य में संगठित करना था। अनेक कारणों से यह संभव नहीं हो पाया और नवोदित राज्य सिर्फ पूर्ववर्त्ती बिहार के 18 जिलो तक ही सीमित रहा।

झारखंड राज्य को स्थापना का श्रेय उस आंदोलन को दिया जा सकता है, जो आजादी के पूर्व से चलाया जा रहा था। लेकिन इसे बिहार प्रान्त के राजनीतिक नेतृत्व की अकुशलता एवं अदूरदर्शिता के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है।

पृथक राज्य हेतु जब हम झारखंड आन्दोलन की पड़ताल करते हैं तो देखते हैं कि झारखंड क्षेत्र में सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता लाने में ईसाई मिशनरियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में आदिवासियों का व्यापक स्तर पर धर्मान्तरण कराया, अस्पताल, विद्यालय खोलकर एक नई पहचान दी। इसी नयी

पहचान को बनाए रखने के लिए पृथक राज्य हेतु झारखंड आन्दोलन की शुरूआत हुई।

झारखंड आन्दोलन को गति प्रदान करने में आदिवासियों में लोकनायक की छवि वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी कैप्टन जयपाल सिंह को जाता है। 1956 में गठित राज्य पुर्नगठन आयोग ने अपनी अनुशंसा में कहा कि द० बिहार का पृथक्करण पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करेगा। यह कृषि एवं उद्योग के बीच संतुलन को उल्ट देगा और शेष बिहार पहले से भी अधिक गरीब बन जायेगा।

1995 में शिबु सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के निरन्तर आंदोलन के फलस्वरूप "झारखंड स्वामत्त परिषद" का गठन हुआ। आखिरकार बिहार विधान सभा ने 25 अप्रैल, 2000 को एक पृथक झारखंड राज्य अधिनियम पारित कर दिया। बिहार पुर्नगठन विधेयक, संसद में पारित होने पश्चात् 15 नवम्बर, 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय संघ के 28 वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया। इसमें छोटानागपुर एवं संथाल परगना के 18 जिले शामिल किये गये।

प्रभावः झारखंड राज्य के निर्माण से एक ओर जहाँ झारखंड में जश्न था, बिहारी उपनिवेशबाद से मुक्ति की खुशी थी, चहुँमुखी विकास के सपने थे वहीं बिहार में शोक था। माना गया कि सारे खनिज संसाधन और औद्योगिक प्रतिष्ठान झारखंड में चले जाने से बिहार में सिर्फ बाढ़ग्रस्त समतल में दस पुरानी कृषि ढाँचा सुविधाहीन गाँव, गरीबी और बेरोजगारी बची है। बिहार के योजनाकारों ने उत्तर बिहार के कृषि विकास और द॰ बिहार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की योजना बनाकर राज्य के संतुलित विकास का जो खाकार खींचा था। इस विखण्डन के साथ उस पर पानी फिर गया।

- बरौनी तेलशोधक कारखाने और कुछ चीनी कारखानों के अतिरिक्त सारे औद्योगिक केन्द्र झारखंड के हिस्से में चले गये।
- पंजाब–हरियाणा बंटवारे के बाद कृषि विकास एवं भूमि सुधार हेतु राजनीति नेतृत्व ने जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई उसका अभाव बिहार में दिखा
- नये प्रान्त के सृजन के पश्चात् झारखंड के शीर्ष नेतृत्व और प्रशासन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। राजनीतिक नेतृत्व भी प्रायः अस्थिर रही हैः इसलिए यहाँ भी वांछित विकास नहीं हो पाया है।

आँकड़ों के आइने में बिहार एवं झारखंड

	बिहार	झारखंड
कुल क्षेत्रफल	94,163 वर्ग किमी	79,714 वर्ग किमी
कुल जिले	38	24
जनसंख्या	10,40,99,452 व्यक्ति (2011)	3,29,88,134 व्यक्ति (2011)
जन घनत्व	1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2011)	414 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी (2011)
शहरी आबादी	11.29 : (2011)	24.05 : (2011)
G.D.P	11.40 लाख करोड़ (2023–24)	4.70 लाख करोड़ (2023–24)
H.D.I	0.571	0.599
प्रतिव्यक्ति आय	54,383 रु॰ (2022–23)	1,07,436 रु॰ (2023–2024)
गरीबी रेखा से नीचे आबादी	51.1 : (M.P.I 2021)	42.16 : (M.P.I 2021)
साक्षरता	61.80 : (2011)	66.41 : (2011)

स्रोत–नीति आयोग का MPI-2021, census handbook-2011, दोनों सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, (2023–24)

निष्कर्ष एवं सुझावः– प्रस्तुत अध्यन से स्पष्ट होता है कि बंगाल से बिहार के विभाजन को छोड़ दिया जाय तो उड़ीसा और झारखंड के बिहार से अलग होने एवं 1956 के राज्य पुर्नगठन आयोग की अनुशंसा से बिहार को भौगोलिक सामाजिक आर्थिक हानि हुई है।

क्षेत्रफल के लिहाज से 12वें और आबादी के लिहाज से तीसरे स्थान वाले बिहार की 51.91% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। प्रतिव्यक्ति आय के लिहाज से बिहार लगातार सभी भारतीय राज्यों में सबसे नीचले पायदान पर बना हुआ है।

राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व प्रदेश के संपूर्ण विकास हेतु एक संतुलित नीति निर्माण कर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन करे।

भूमि सुधार नीतियों को कठोरता पूर्वक लागू करे और भूमि सुधार संबंधी डी॰ बंधोपाध्याय आयोग की अनुशंसाओं को अमलीजामा पहनाये।

राज्य में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने हेतु निवेश हेतु उपयुक्त वातावरण, अद्यः संरचना का विकास कानून अलावा में सुधार एवं सरकारी नीतियों को और अधिक जनता सापेक्षी बनाया जाये।

मिथिला, भोजपुर जैसे राज्यों की माँग की त्रासदी से बिहार को बचना है तो राजनीति नेतृत्व को सुदृढ़ होना होगा। बिना व्यक्तिगत और दलीय लाभ हानि के सोचे राज्य के समग्र विकास हेतु कड़े कदम उठाने होंगे। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान ग्रहण करेगा और एक बार पुनः भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का रमणीक केन्द्र बनेगा।

संदर्भ सूची

1. आधुनिक बिहार का भौगोलिक स्वरूप–संपादन–डॉ॰ गिरिजा नंदन सिंह–आर॰ के॰ बुक बुक्स–नई दिल्लीर–2016
2. इनामत अहमद : बिहार एक भौतिक, आर्थिक एवं प्रादेशिक भूगोल–1965, राँची विश्वविद्यालय, राँची
3. आर॰ पी॰ सिहं एवं अनिल कुमार, मोनोग्राफ ऑफ बिहार, 1970 भारतीय भवन
4. महेश नारायण तथा सच्चिदानंद सिंहा–पार्टिशन ऑफ बिहार और सेपरेशन ऑफ बिहार
5. बिहार : सृजन से शताब्दी वर्ष मुख्य संपादक : डॉ॰ विजय कुमार प्रकाशक :– बिहार राज्य अभिलेखागार, निदेशलय, पटना
6. भारत : 2019– प्रकाशन विभाग : सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
7. Global Summit on Changing Bihar] 2012
8. Bihar Ram Chandra Prasad. National book trust, India-1994
9. आत्मकथा, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली
10. बिहार विमर्श संपादन हेमन्त प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली–2003